फारम सं० ५६३ । बिहार गवर्नमेंट प्रेस, गया । (दो०पी०)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ । ३

यह अभिलेख श्री धर्म मंगल जैन विद्यापीठ, मधुबन संस्था (विद्यालय) के साथ पीरटांड अंचल के निम्नलिखित मौजा की गैरमजरुआ जमीन की बंदोबस्ती का प्रस्ताव अं०अ०, पीरटांड द्वारा प्राप्त है।

मौजा	थाना नं०	खाता	खसरा	रकबा (ए०-डि०)	किस्म
मधुबन	97	36/2	228/2	1.25	गैरमजरुआ मालिक

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है, मुखिया श्री ईश्वर तुरी, सरपंच श्री जयप्रकाश नारायण साव, ग्राम पंचायत मधुबन, अध्यक्ष दुर्गा पूजा समिति, मधुबन उपाध्यक्ष श्री मोतीलाल महतो; झारखंड मुक्ति मोर्चा पीरटांड प्रखंड, [illegible] के द्वारा प्रस्तावित बंदोबस्ती के विरुद्ध अलग अलग आपत्ति पत्र अं०अ० के निकट दाखिल किया गया है, जो कि अभिलेख के साथ संलग्न है।

अनुसूची १८—फारम सं० ५६३ ॥

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख १	आदेश २	...र की ... ...णी; तारी... ३
	[illegible]	

क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
१	२	३
	भूदान- पर्चाधारी कुटु तुरी के संबंध में कार्यालय मंत्री, जिला भूदान यज्ञ कार्यालय, गिरिडीह ने अपने पत्र संख्या 25/95 — 260 दिनांक 6.2.96 के द्वारा यह प्रतिवेदित किया है कि मौजा मधुबन, थाना सं०- 96, अंचल पीरटांड में श्री कुटु तुरी पे० पलटु तुरी के नाम से प्रमाण पत्र संख्या 69528 दिनांक 14.5.56 के द्वारा अन्य प्लौट के अलावे प्लाट नं० 228 में 96 डी० भूमि प्रदान की गई है। संबंधित भूमि श्रीमति दौलत कुमारी द्वारा दानस्वरूप दी गई है।	
	उक्त पत्र के कंडिका 2 में यह भी उल्लेखित किया गया है कि वितरित भूमि पर विद्यापीठ व्यायामशाला भवन आदि जितनी भूमि पर का दखल कब्जा है, उतनी भूमि देकर बदलैन (exchange) करने का प्रावधान है. परन्तु इस बदलैन की स्वीकृति कमिटि के प्रधान कार्यालय से होगी।	

IV

अनुसूची १४—फारम सं० ५६३।

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ। ३
	बिहार भूदान यज्ञ एक्ट ~~अधिनियम~~, 1954 की धारा 14 के Provision (ii) के (i) में यह प्रावधान है कि कमिटि के लिखित पूर्व अनुमति से भूमि का बन्दोबस्ती हो सकता है। श्री धर्मगंगा ग्राम विद्यापीठ विद्यापीठ ~~[illegible]~~ एक गैरसरकारी धार्मिक संस्था है जो लोगों के कल्याण में लगी हुई है एवं उक्त संस्था के नाम प्रबंधनगत जमीन की भूमि की बंदोबस्ती हेतु अग्रेतर कार्रवाई के लिए अभिलेख अपर समाहर्ता, गिरिडीह को भेजा जाय। ह० 4/3/06 अ० स० Giridih ह०	